

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या
12/08/2026

रजि०न०
2026/8

प्रवेश तिथि
06.01.2026

निर्णय दिनांक
25.02.2026

1.खिल्लू पुत्र श्री गोविन्दा जाति माली निवासी ग्राम राजपुर छोटा, तहसील रैणी जिला अलवर (राजस्थान)।

—अपीलान्ट

बनाम

1.तहसीलदार रैणी, जिला अलवर (राज०)।

— रेस्पोडेण्ट



अपील विरुद्ध निर्णय तहसीलदार रैणी
दिनांक 14.05.2025 प्रकरण संख्या
07/2025

उपस्थित:-

01.श्री ओमानन्द चौधरी
02.राजकीय अभिभाषक

-वकील अपीलान्ट
-वकील रेस्पोडेण्ट


—:: निर्णय ::—

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार रैणी के निर्णय दिनांक 14.05.2025 प्रकरण संख्या 07/2025 जिसके द्वारा अपीलान्ट को अतिक्रमी घोषित कर अतिक्रमित रकबे से बेदखल कर लगान स्वरूप शास्ति राशि आरोपित की गयी, से व्यथित होकर पेश की है। अपील में वर्णित तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आलोच्य निर्णय न्यायालय तहसीलदार रैणी जिला अलवर राजस्थान दिनांक 14.05.2025 पत्रावली संख्या 07/25 के खिलाफ यह प्रथम अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत न्यायालय श्रीमान के श्रवण योग्य हैं। अपील हाजा पर नियमानुसार न्याय शुल्क 2/- रूपया तथा तलबाना सशुल्क चस्पा कर पेश की जा रही हैं। आलोच्य निर्णय न्यायालय तहसीलदार रैणी जिला अलवर राजस्थान दिनांक 14.05.2025 पत्रावली संख्या 07/25 की सत्य प्रतिलिपी संलग्न कर अपील के साथ पेश की जा रही हैं। तहत अदालत द्वारा मिन अपीलान्ट को नोटिस जेर दफा 91(3) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत जारी किया गया। मिन अपीलान्ट ने तामील होने पर अपने अभिभाषक के साथ तहत अदालत में उपस्थित होकर जवाब नोटिस पेश कर दस्तावेजी साक्ष्य पेश करने का अवसर चाहा गया। इसके उपरान्त मिन अपीलान्ट ने माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ जयपुर राजस्थान में रिट याचिका दायर कर दी। जिस पर मिन अपीलान्ट को वकील साहब ने रिट याचिका पेश करने के बाद आश्वासन दिया था, कि तहत अदालत में अब कोई आगामी कार्यवाही नहीं होगी, तथा तहत अदालत से जो भी निर्णय होगा, उसकी जानकारी मिन अपीलान्ट को दे देंगे, जिस आश्वासन पर विश्वास कर मिन अपीलान्ट आलोच्य निर्णय के दिन नेकनियति व सदभावनापूर्वक तहत अदालत में उपस्थित नहीं था मिन अपीलान्ट के वकील साहब भी उपस्थित नहीं थे। तथा मिन अपीलान्ट के वकील साहब द्वारा मिन अपीलान्ट को काफी समय से प्रकरण में हुई, कार्यवाही की कोई जानकारी नहीं दी गई। आलोच्य निर्णय तहत अदालत द्वारा मिन अपीलान्ट की गैरमौजूदगी व गैरजानकारी में पारित करने के कारण मिन अपीलान्ट को पूर्व में कोई जानकारी उक्त आलोच्य निर्णय की किसी तरह की नहीं थी। मिन अपीलान्ट को आलोच्य निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 10.12.2025 को पटवारी हल्का द्वारा मौके पर आकर बेदखल करने व पेनेल्टी वसूल करने का प्रयास कर मौखिक रूप से उक्त आलोच्य निर्णय की जानकारी देने पर हुई। जिस पर मिन अपीलान्ट ने दिनांक 23.12.2025 को तहत अदालत में जानकारी कर नकल के लिए प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया, जो नकल दिनांक 24.12.2025 को तैयार होकर दिनांक 24.12.2025 को ही सांयकाल

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

प्राप्त हुई। दिनांक 25.12.2025 को अलवर राजस्थान आकर नकल व कागजात वकील साहब को दिखाकर कानूनी राय ली गई, तो वकील साहब ने अविलम्ब अपील न्यायालय श्रीमान में पेश करने की कानूनी राय दी। इसके बाद दिनांक 26.12.2025 से अपील करने के लिए आवश्यक खर्च का इंतजाम कर वकील साहब से अपील आदि तैयार कराकर आज अपील सर्वप्रथम जानकारी की दिनांक 10.12.2025 से अन्दर मियाद अदालत श्रीमान में प्रस्तुत की जा रही हैं। आलोच्य निर्णय तहत अदालत दिनांक 14.05.2025 से सर्वप्रथम जानकारी की दिनांक 10.12.2025 तक का समय मिन अपीलान्त की जानकारी के अभाव में लाइल्मी होने के कारण मियाद में मुजरा दिये जाने योग्य है। जहां निर्णय आरम्भ से ही अवैध व शुन्य हों, तथा पीडित पक्षकार को बिना सुने पारित किया गया हों, वहां मियाद का बिन्दु गौण हो जाता है। ऐसे निर्णय को न्यायहित में कभी भी चौलेन्ज किया जा सकता है, मियाद की कोई पाबन्दी नहीं है। ऐसा विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है। इसलिए मियाद के बिन्दु पर नरम रूख अपनाया जाकर पेशकर्दा अपील अपीलान्त न्यायहित में सर्वप्रथम जानकारी की उक्त दिनांक 10.12.2025 से अन्दर मियाद ग्रहण किया जाना अतिआवश्यक है। जिसके लिये प्रार्थनापत्र जेर दफा 05 परिसीमा अधिनियम 1963 मय हलफनामा अलग से अपील के साथ अदालत श्रीमान में पेश किया जा रहा है।

आराजी खसरा नम्बर 775/1019 रकबा 0.25 हैक्टर किस्म चारागाह में से रकबा 0.0020 हैक्टर वाके ग्राम राजपुर छोटा तहसील रैणी जिला अलवर राजस्थान में स्थित हैं, उक्त आराजी के सम्बन्ध में पटवारी हल्का राजपुर छोटा तहसील रैणी जिला अलवर राजस्थान द्वारा एक रिपोर्ट न्यायालय तहसीलदार रैणी जिला अलवर राजस्थान के समक्ष पेश कर अपीलान्त द्वारा उक्त आराजी पर अतिक्रमण कर ट्यूबवैल लगाना जाहिर किया गया है। जिस पर अपीलान्त को उक्त तहत अदालत द्वारा प्रकरण सं. 07/25 दर्ज कर नोटिस अर्न्तगत धारा 91(3) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 जारी किया गया। जिस पर अपीलान्त द्वारा तहत अदालत में उपस्थित होकर जवाब नोटिस पेश किया गया, तथा दस्तावेजी साक्ष्य पेश करने का अवसर चाहा गया। तत्पश्चात तहत अदालत द्वारा अपीलान्त के खिलाफ कार्यवाही करते हुये, अपीलाधीन आलोच्य निर्णय दिनांक 14.05.2025 को पारित किया गया है। जिस निर्णय से असंतुष्ट होने के कारण यह अपील बिना किसी देरी अदालत श्रीमान में पेश की जा रही है। आलोच्य निर्णय तहत अदालत बेजा व विधि विरुद्ध एवं मौके व कब्जे तथा राजस्व रिकार्ड के खिलाफ होने के कारण निरस्त होने योग्य है, निरस्त फरमाया जावें। जो काबिल गौर अदालत श्रीमान है। आराजी खसरा नम्बर 775/1019 रकबा 0.25 हैक्टर किस्म चारागाह में से रकबा 0.0020 हैक्टर वाके ग्राम राजपुर छोटा तहसील रैणी जिला अलवर राजस्थान में स्थित हैं, जिस पर मिन अपीलान्त ने कोई अतिक्रमण नहीं किया है। पटवारी हल्का ने मौके के खिलाफ बिना कोई पैमायश किये, अपीलान्त के विरुद्ध धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत रिपोर्ट तहत अदालत में पेश की है। जिस पर तहत अदालत द्वारा बिना जांच किए अपीलान्त के खिलाफ नोटिस जारी कर आलोच्य निर्णय पारित किया है। जो गलत एवं मौके के खिलाफ होने के कारण निरस्तनीय है, निरस्त फरमाया जावें। जो काबिल गौर अदालत श्रीमान हैं। मिन अपीलान्त को जो नोटिस अर्न्तगत धारा 91(3) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 तहत अदालत द्वारा जारी किया गया है, वह नोटिस कानूनन गलत बिना किसी साक्ष्य के बेवजह तंग व परेशान करने की नियत से जारी किया गया है। जिस आराजी पर अतिक्रमण कर मिन अपीलान्त द्वारा अतिक्रमण कर ट्यूबवैल लगाना जाहिर किया गया है। उक्त भूमि मिन अपीलान्त की खातेदारी की भूमि है, जिसमें मिन अपीलान्त के अतिक्रमण कर ट्यूबवैल अरसे दराज पूर्वजो के समय से बने हुए हैं, तथा मिन अपीलान्त ने बिजली कनेक्शन लिया हुआ है, मिन अपीलान्त बी पी एल श्रेणी का सदस्य हैं। परन्तु तहत अदालत ने कोई गौर नही किया। इसलिए आलोच्य निर्णय तहत अदालत निरस्तनीय हैं। जो काबिल गौर अदालत श्रीमान हैं। विवादित आराजी पर मिन अपीलान्त ने कोई नाजायज अतिक्रमण नहीं किया है, पटवारी हल्का ने बिना मौका निरीक्षण किये, व बिना पैमायश किये, तहत अदालत में अतिक्रमण करने की रिपोर्ट प्रस्तुत की है। मिन अपीलान्त अतिक्रमी नही है। लेकिन तहत अदालत ने बिना मौका निरीक्षण किये, पटवारी हल्का की रिपोर्ट को आधार मानकर आलोच्य निर्णय पारित किया है। जो निरस्त किये जाने योग्य हैं,


अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)


निरस्त फरमाया जावें। जो काबिल गौर अदालत श्रीमान हैं। मिन अपीलान्ट द्वारा तहत अदालत में उपस्थित होकर जवाब नोटिस पेश किया गया, तथा दस्तावेजी साक्ष्य पेश करने का अवसर चाहा गया। लेकिन तहत अदालत द्वारा जवाब नोटिस पेश करने के उपरान्त मिन अपीलान्ट को कोई सुनवाई एवं दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर नहीं दिया गया। जिस कारण से मिन अपीलान्ट अपना पक्ष तहत अदालत के समक्ष नहीं रख सका। इसलिए तहत अदालत द्वारा बिना अपीलान्ट को सुनवाई व साक्ष्य का अवसर दिए, तथा अपीलान्ट को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का मौका दिए बिना आलोच्य निर्णय पारित किया है। जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ होने के कारण निरस्त होने योग्य हैं, निरस्त फरमाया जावें। जो काबिल गौर अदालत श्रीमान हैं। तहत अदालत ने पहले से प्रिन्टेड कम्प्यूटराईज्ड प्रपत्र पर आलोच्य निर्णय पारित किया है, जो निर्णय विधिक प्रक्रिया एवं प्रावधानों के अनुसार गैरकानूनी होने के कारण निरस्तनीय हैं। जो काबिल गौर अदालत श्रीमान हैं। तहत अदालत ने अपीलाधीन आलोच्य निर्णय खिलाफ तथ्य कानून मौका साक्ष्य प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्तों एवं नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त व राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के प्रावधानों के विपरीत निष्कर्ष निकालते हुये, पारित किया है। जिससे निरस्तनीय हैं। जो काबिल गौर अदालत श्रीमान हैं। अन्य उजरात तथ्य दौराने बहस जुबानी अदालत श्रीमान के समक्ष अर्ज किए जावेंगे। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है, कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर आलोच्य निर्णय न्यायालय तहसीलदार रैणी जिला अलवर राजस्थान दिनांक 14.05.2025 पत्रावली संख्या 07/25 अंतर्गत धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 निरस्त फरमाया जावे। तथा अपीलान्ट को नोटिस अर्न्तगत धारा 91(3) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के भाग से मुक्त फरमाया जावें। महति कृपा होगी। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को जरिये कोर्ट नोटिस तलब किया गया। रेस्पोंडेन्ट जरिये राजकीय अभिभाषक उपस्थित।

सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा 05 परिसीमा अधिनियम 1963 पर विचार किया। माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा भी विभिन्न दृष्टान्तों में मियाद के बिन्दु पर नरमी का रुख अपनाने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया हुआ है। अतः नरमी का रुख अपनाते हुए विलम्ब को माफ कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

वकील उभयपक्ष की विस्तृत बहस सुनी गई।

वकील अपील ने दौराने बहस कथन किये कि यह अपील तहसीलदार रैणी के आदेश दिनांक 14.05.2025 प्रकरण सं. 07/2025 के खिलाफ की गई है, जिसमें अपीलकर्ता को चारागाह भूमि पर अतिक्रमण के आरोप में बेदखल करने और जुर्माना लगाने का आदेश दिया गया था। वकील अपीलान्ट न बताया कि उसने ग्राम राजपुर छोटा (खसरा नं. 775/1019) की चारागाह भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं किया है। उसका अतिक्रमण कर ट्यूबवैल उसकी खुद की पुश्तैनी (खातेदारी) जमीन पर है। पटवारी ने मौके नहीं जाकर बिना कोई पैमाइश किए गलत रिपोर्ट पेश की। तहसीलदार ने सबूत पेश करने और सुनवाई का उचित अवसर दिए बिना ही, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ एकतरफा फैसला सुना दिया। अतः तहसीलदार रैणी के 14 मई 2025 के आदेश को पूरी तरह से निरस्त किया जाए और अपीलकर्ता को अतिक्रमण के नोटिस (धारा 91) से मुक्त किया जाए।

वकील रेस्पोंडेन्ट राजकीय अभिभाषक ने दौराने बहस वकील अपीलान्ट द्वारा किये गये कथनों को नकारते हुए कथन किये कि पटवारी हल्का राजपुर छोटा की मौका रिपोर्ट के अनुसार खिल्लू पुत्र गोविन्दा जाति माली ने आराजी खसरा नं 775/1019 किस्म चारागाह कुल रकबा 0.25 है० में से रकबा 0.0020 है० पर अनाधिकृत रूप से कब्जा/काश्तकर अतिक्रमण किया हुआ है। अतिक्रमी/अपीलांट द्वारा बाबजूद नोटिस अधीनस्थ न्यायालय में कोई जवाब पेश नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित


अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

आराजी से बेदखल किये जाने के आदेश पारित किये गये तथा पेनल्टी अधिरोपित की गई, जो विधि के अनुरूप है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

पत्रावली में संलग्न समस्त दस्तावेजात का अवलोकन एवं वकील उभयपक्ष की बहस के बिन्दुओं पर चिन्तन-मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की निर्णय/पत्रावली का भी अवलोकन किया। अपीलान्ट खिल्लू द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रैणी, जिला अलवर के निर्णय दिनांक 14.05.2025 प्रकरण संख्या 07/2025 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। आलोच्य निर्णय के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को ग्राम राजपुर छोटा स्थित आराजी खसरा नम्बर 775/1019 कुल रकबा 0.25 हैक्टर किस्म चारागाह में से 0.0020 हैक्टर भूमि पर ट्यूबवैल लगाकर अतिक्रमण करने का दोषी मानते हुए, बेदखली का आदेश पारित कर लगान स्वरूप शास्ति आरोपित की थी।

अपीलान्ट के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलान्ट ने चारागाह भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं किया है। उसका ट्यूबवैल उसकी स्वयं की पुस्तैनी खातेदारी भूमि में है। पटवारी ने बिना पैमाइश किए गलत रिपोर्ट पेश की। अधीनस्थ न्यायालय ने सुनवाई एवं साक्ष्य पेश करने का पर्याप्त अवसर दिए बिना नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत एक तरफा निर्णय पारित किया है।

राजकीय अभिभाषक का तर्क है कि पटवारी हल्का की मौके की रिपोर्ट स्पष्ट है कि अपीलान्ट ने खसरा नं. 775/1019 किस्म चारागाह भूमि के 0.0020 हैक्टर हिस्से पर अनाधिकृत कब्जा कर रखा है। नोटिस (धारा 91) की तामील होने के बावजूद अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में अपना बचाव या साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया। तहसीलदार रैणी का आदेश पूर्णतः विधि सम्मत है और अपील खारिज होने योग्य है।

राजस्व रिकार्ड के अनुसार विवादित खसरा नम्बर 775/1019 किस्म चारागाह के रूप में दर्ज है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान द्वारा विभिन्न दृष्टांतों में यह सुस्थापित किया गया है कि चारागाह, जोहड़ या सार्वजनिक उपयोग की भूमि पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण वैध नहीं माना जा सकता है। पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट स्पष्ट रूप से अपीलान्ट द्वारा 0.0020 हैक्टर चारागाह भूमि पर अनाधिकृत अतिक्रमण होने की पुष्टि करती है। अपीलान्ट का यह कथन है कि उक्त निर्माण उसकी पुस्तैनी खातेदारी भूमि में है, परन्तु इस कथन की पुष्टि में अपीलान्ट द्वारा न तो अधीनस्थ न्यायालय में और न ही इस अपीलिय न्यायालय के समक्ष कोई पुख्ता दस्तावेजी साक्ष्य (जैसे अधिकृत तरमीम, सीमाज्ञान/पैमाइश की रिपोर्ट या सक्षम अधिकारी का नक्शा ट्रेस) प्रस्तुत किया गया है। अपीलान्ट ने स्वयं अपनी अपील में स्वीकार किया है कि उसे धारा 91(3) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 का नोटिस प्राप्त हुआ था। यदि अपीलान्ट न्यायालय की कार्यवाहियों से अनुपस्थित रहा (भले ही वह अपने अधिवक्ता के आश्वासन के कारण हो), तो इसके लिए न्यायालय की प्रक्रिया को दोषपूर्ण नहीं ठहराया जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रक्रिया अपनाकर ही बेदखली का आदेश पारित किया गया है।

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा-91 के अनुसार सरकारी भूमि, चैरिटेबल/धार्मिक माफी भूमि, देवस्थान विभाग या मंदिर की दर्ज भूमि पर अवैध कब्जा हटाने की कार्यवाही करने का प्राथमिक अधिकार तहसीलदार के पास है। अतः तहसीलदार चारागाह की भूमि से अतिक्रमण हटा सकता है। यह पूरी तरह विधि-सम्मत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 07/2025 में विधिवत सुनवाई की जाकर निर्णय दिनांक 14.05.2025 पारित किया गया है, जो उचित है। अतः विद्वान तहसीलदार रैणी द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.05.2025, जिसमें अपीलार्थी को चारागाह भूमि से बेदखल कर शरह लगान 01 की 50 गुना शास्ति रूपये 50 आरोपित कर दन्डादेशि किया गया है, तथ्यात्मक और विधिक रूप से सही है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों और उभय पक्षों की बहस पर विचार करने के उपरांत, यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रैणी द्वारा पारित

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

निर्णय में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अपील अपीलान्त सारहीन होने से खारिज किए जाने योग्य है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्त खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रैणी द्वारा प्रकरण संख्या 07/2025 में पारित निर्णय दिनांक 14.05.2025 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ न्यायालय को मूल रिकॉर्ड के साथ पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील जमा लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 25.02.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(योगेश कुमार डागुर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)